John Stuart Mill

विलियम बेन्थमवादी जेम्स मिल का पुत्र जे. एस. मिल ने उपयोगितावाद को एक दिशा प्रदान की। यह उपयोगितावाद का प्रादुर्भाव विकास तथा पतन का युग था। अति कुशाग्र बुद्धि एवं अपने पिता के कठोर अनुशासन के परिणाम स्वरूप मिल ने अत्यन्त अल्पायु में ही एडम स्मिथ, रिकार्डो, जॉन ऑस्टिन के अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, रोमन कानून एवं अन्य कानूनों की शिक्षा प्राप्त की। आगे चलकर the Speculative Debating Society एवं The Political Economy club की सदस्यता भी ग्रहण की। सिर्फ 17 वर्ष की आयु में उसे ईस्ट इंडिया कम्पनी के दफ्तर में पत्र-व्यवहार विभाग में नौकरी मिल गई।

मिल मानवतावादी, स्त्री-पुरुष समानता, समाज के कमजोर वर्गों के वर्गों का शुभचिंतक होने के कारण उसे समाजवाद का समर्थक भी कह सकते हैं।

रचनाएँ — Political Economy, Essay on liberty, Thought on Parliamentary Reforms, Utilitarianism उसकी प्रमुख रचनाएँ है।

मिल के चिन्तन पर तत्कालीन परिस्थितियों का गहरा प्रभाव था। 19वीं शदी के आते-आते औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप सामाजिक परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ गया था। हालांकि उपयोगितावादियों द्वारा मताधिकार का विस्तार खुली-आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा आदि सुधारों के विस्तार के बावजूद सामाजिक व्यवस्था में असंतोष व्याप्त था।

मिल का विचार था कि मताधिकार के विस्तार के बावजूद भी व्यक्ति उसी तरह जनतांत्रिक शोषण का शिकार हो सकता है जिस तरह वह निरंकुश शासन में होता था।

मिल की मान्यता थी कि उदारवादी शासन के पीछे उदार-वादी समाज को होना चाहिए।

मिल के राजनीतिक विचार में उनका स्वतंत्रता का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है किन्तु उसने बेन्थम के उपयोगितावाद में संशोधन करके सुखवाद का समावेश किया। मिल को प्रायः अन्तिम उपयोगितावादी एवं प्रथम व्यक्तिवादी विचारक भी माना गया है। जहाँ बेन्थम ने सुख एवं दुःख के मात्रात्मक भेद को स्वीकार किया वहीं मिल ने सुख एवं दुःख के गुणात्मक भेद को। उसके अनुसार 'एक संतुष्ट सुअर होने के बजाए एक असंतुष्ट सुकरात होना ज्यादा अच्छा है' क्योंकि वह सही गलत के दोनों पक्षों को जानता है। सुख एवं दुःख के गुणात्मक भेद को स्वीकार कर मिल ने उपयोगितावाद को अधिक तर्कसंगत बना दिया।

मिल के अनुसार जीवन का अन्तिम उद्देश्य उपयोगिता नहीं बल्कि शालीनता है। मिल स्वयं अनुभूति के सिद्धान्त को स्वीकार करता है। बेन्थम के सिद्धान्त का उद्देश्य आत्मानुभूति नहीं बल्कि सिर्फ आनन्द प्राप्त करना है। परन्तु मिल की मान्यता है कि आनन्द सम्मान की वृद्धि करे वही श्रेष्ठ है। अतः राज्य का उद्देश्य उपयोगिता नहीं बल्कि नैतिक गुणों का विकास होना चाहिए।

मिल ने नैतिक बाधा का कारण मनुष्य की स्वार्थपरता को माना है। जिसके अनुसार मनुष्य स्वार्थी, जिस प्रकार नैतिकता के मार्ग में बाधक है वैसे ही प्रेम, सहानुभूति, दया भी।

मिल ने उपयोगितावाद पहले जहाँ भौतिक पक्षों पर बल दिया वहीं आन्तरिक पक्ष को बल दिया। वह बेन्थम के उपयोगितावाद एवं सामाजिक हितों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया जिसके अनुसार, सुख सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक एवं आत्मिक होता है।

इस तरह मिल ने बेन्थम के उपयोगितावाद को नैतिक आधार प्रदान किया।

उपयोगितावाद में संशोधन के फलस्वरूप राज्य सम्बन्धी विचारधारा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मिल की मान्यता थी कि राज्य स्वार्थ की अपेक्षा मानव इच्छा का परिणाम है। राज्य की उत्पत्ति मानव हित के लिए हुई है। राजनीतिक संगठन का अस्तित्व सार्वजनिक कल्याण है। उद्देश्य

मिल ने राज्य के सकारात्मक पहलू पर बल दिया। व्यक्तित्व के विकास के लिए शुद्ध परिस्थितियों में राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक बताया। राज्य रचनात्मक एवं निषेधात्मक दोनों प्रकार का कार्य करता है। बुद्धि, चरित्र, सत्यान्वेषण के लिए स्वतन्त्र वातावरण का निर्माण रचनात्मक कार्य है तथा सामाजिक एवं व्यक्तिगत मर्यादा भंग करने पर राज्य द्वारा किया गया हस्तक्षेप निषेधात्मक माना। किन्तु मिल राज्य के कार्य को सीमित माना है। मिल प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र का समर्थक था किन्तु प्रतिनिधियों में बौद्धिक क्षमता का होना आवश्यक है।

मिल के अनुसार स्वतन्त्रता के द्वारा ही व्यक्ति के मानसिक तथा आत्मा की उन्नति का समाज का हित साधन सम्भव है। सामाजिक उन्नति व्यक्ति की मौलिक रचनात्मक प्रतिभा पर अवलम्बित है। किन्तु मिल के अनुसार प्रजातन्त्र में स्वतन्त्रता पर कई अंकुश हैं — जैसे — राज्य व्यक्तिगत क्षेत्रों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर व्यक्ति की नैसर्गिक प्रतिभा को कुंठित करता है। बहुमत की निरंकुशता का भी सदा भय बना रहता है। और सर्वाधिक खतरनाक अंकुश स्वयं लोकमत का है। लोकमत राज्य की तुलना में ज्यादा सशक्त, परोक्ष और कठोर अंकुश होता है। यह मानव जीवन के सभी पक्षों को नियंत्रित करता है। व्यक्ति इनके आगे असहाय हो जाता है। अतः विधानमण्डल में अल्पमत के समुचित प्रतिनिधित्व के लिए मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुल मतदान की प्रणाली का समर्थन किया।

मिल उदारवादी होने के बावजूद प्रारम्भ में उसने अहस्तक्षेप की नीति का और व्यक्तिवाद का समर्थन किया। किन्तु सामाजिक-आर्थिक यथार्थ पर विचार के पश्चात वह इसमें भी संशोधन करता है। जहाँ एक ओर उसने राजनीतिक क्षेत्र में संविधानिक और प्रतिनिधि शासन का समर्थन किया। ~~वहाँ~~ दूसरी तरफ उसने आर्थिक क्षेत्र में कल्याणकारी राज्य का भी समर्थन किया। मिल व्यक्ति एवं राज्य के परस्पर संबंध में भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार भी किया। उदारवादी मूल्यों के साथ समाजवादी मूल्यों का समन्वय कर उसने उदारवाद को एक नई दिशा प्रदान की।

मिल के चिंतन में नारीवादी विचार का भी आगमन है। मिल ने अपनी पुस्तक 'Subjection of Women' (1869) में मिल ने स्त्री की स्वतन्त्रता का जोरदार समर्थन किया। उसके अनुसार ~~पराधीनता~~ पराधीनता चाहे कानून के माध्यम से हो अथवा रीति-रिवाज या परम्परा के माध्यम से, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह सामाजिक प्रगति के मार्ग में बाधक है।

मिल ने व्यक्ति को सर्वोच्च महत्व देते हुए व्यक्ति की गतिविधियों पर राज्य के हस्तक्षेप को अनुचित माना। ~~इ~~ मिल ने इसके लिए आत्मपरक एवं अन्यपरक गतिविधियों में विभेद किया किन्तु बार्कर ने मिल की आलोचना करते हुए कहा है कि इन आत्मपरक एवं अन्यपरक गतिविधियों में विभाजन रेखा खींचना अत्यन्त कठिन है। किन्तु इतना अवश्य है कि मिल ने सर्वप्रथम इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि राज्य को तटस्थ नहीं रहना चाहिए बल्कि इस क्षेत्र में उसे सकारात्मक ~~भूमिका~~ भूमिका निभानी चाहिए। इसके पश्चात् सकारात्मक एवं नकारात्मक ~~भूमिका~~ राज्य को भी बल मिला।

मिल ने 'अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता' को महत्व दिया देकर जनसाधारण के मानसिक एवं आर्थिक स्तर को उन्नत किया। उसने शासन में अल्पमत ~~वर्ग~~ के प्रतिनिधित्व को बल दिया।

मिल नारी स्वाधीनता का भी प्रबल समर्थक था।

~~आधुनिक राजनीति-सिद्धान्त की परम्परा में~~
~~मिल का योगदान अविस्मरणीय है~~

आरम्भिक उपयोगितावाद ने मनुष्य को के विवेकशील चरित्र को बाजार अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत मात्र उपभोक्ता बना दिया। किन्तु मिल ने उपयोगितावाद में उदात्त मूल्यों का समावेश कर उपयोगितावाद के मूल मान्यताओं को हिला दिया।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि आधुनिक राजनीति-सिद्धान्त की परम्परा में मिल का योगदान अविस्मरणीय है।

—